

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 6752-6761

दिनांक: 11-10-12

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 28.09.2012 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है:-

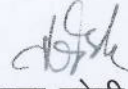
क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5

लेखाकार

1	राम कुमार लाखलान	15-08-12 to 29-08-12	जल ग्रहण विकास एवं जिला परिषद, चूरु
---	------------------	----------------------	-------------------------------------

क0लेखाकार

2	महेश चन्द शर्मा	02-07-12 to 19-07-12	निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
---	-----------------	----------------------	---------------------------------------

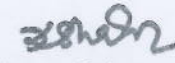

(वीरबाला जोशी)

निदेशक

दिनांक: 11-10-12

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 6752-6761
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष _____को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
2. संयुक्त निदेशक (लेखा-प्रशासन) कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें
3. प्रभारी, एनआईसी वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. डेस्क आफिसर कार्मिक(अलेसे-प्रथम/द्वितीय/लेखा-प्रशासन)
5. श्री _____सहायक लेखाधिकारी/ लेखाकार/क0लेखाकार कार्यालय _____को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग /कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
6. निजी सहायक, निदेशक
7. निजी पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)